माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

बोर्ड से नवीन सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु एवं पूर्व मे सम्बद्धता प्राप्त सभी विद्यालयों हेतु आवश्यक निर्देश

क्रमांकःमा.शि.बो./सम्बद्धता/2020 / 01

दिनांक : 29.09.2020

माध्यमिक/प्रवेशिका तथा उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय स्तर हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों एवं नव क्रमोन्नत विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने की व्यवस्था एवं ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में दिनांक 21.09.2020 से निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है।

1 यदि विद्यालय मिडिल स्तर से माध्यमिक अथवा माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर हेतु नवक्रमोन्नत हुआ है, एवं सम्बद्धता हेतु बोर्ड को आवेदन नही किया है, तो बोर्ड की वेबसाईट के **"School Affiliation Portal" Link** पर जाकर **"नवक्रमोन्नत विद्यालयों हेतु"** प्रपत्र भरें।

2 बोर्ड द्वारा पृथक–पृथक जारी की जाने वाली अस्थायी व स्थायी सम्बद्धता के स्थान पर प्रत्येक स्तर हेतु एक सम्बद्धता पत्र जारी किया जायेगा। विद्यालयों को प्रत्येक स्तर हेतु एक ही बार ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

3 जिन विद्यालयों (पूर्व में क्रमोन्नत) ने पूर्व में अस्थायी सम्बद्धता हेतु सशुल्क आवेदन कर रखा हैं एवं उन्हें अस्थायी सम्बद्धता पत्र जारी नही किया गया है, उन्हें शेष शुल्क राशि रूपये 15000/– के साथ बोर्ड की वेब साईट के **"School Affiliation Portal" Link** पर जाकर "पूर्व क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु" ऑनलाईन आवेदन करना होगा तदुपरान्त सम्बद्धता प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

4 जिन विद्यालयों ने पूर्व में अस्थायी सम्बद्धता हेतु सशुल्क आवेदन कर रखा है एवं उन्हे अस्थायी सम्बद्धता पत्र जारी किया जा चुका है, उन्हें निर्धारित शेष शुल्क रूपये 15000/– के साथ विलम्ब शुल्क (यदि हो तो) बोर्ड वेबसाईट के **"School Affiliation Portal" Link** पर जाकर "पूर्व क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु" आवेदन करने पर सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

5 ऑनलाईन पोर्टल पर **"School Affliation"** के माध्यम से प्रपत्र 'क' व 'ग' के लिए आवेदन की व्यवस्था को समाप्त कर अब केवल सम्बद्धता हेतु आवेदन (Apply for Affliation) का प्रावधान कर विद्यालयों को समेकित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

6 बोर्ड से सम्बद्धता हेतु ऑनलाईन आवेदन के समय निम्नांकित प्रलेखो की सत्यापित प्रतियां ही संलग्न कर अपलोड करें।

1. क्रमोन्नति/मान्यता आदेश।
2. राज्य सरकार/शिक्षा विभाग के समक्ष क्रमोन्नति/मान्यता हेतु प्रस्तुत किया गया ब्ल्यू प्रिंट (नक्शा)
3. विद्यालय/संस्था का पंजीयन प्रमाण–पत्र व प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची।
4. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त डाइस कोड (DISE CODE)।
5. विद्यालय/संस्था का छात्र संख्या के अनुरूप सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्धता प्रमाण–पत्र
6. यदि विद्यालय निजी है तो सभी कक्षा–कक्षो में सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे चालू हालत में लगे होने का प्रमाण–पत्र।

7 पूर्व सम्बद्ध विद्यालयों का यदि वार्षिक शुल्क बकाया हो तो पूर्व में क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु आवेदन पत्र में अंकित कर चालान के साथ जमा करायें अन्यथा वार्षिक शुल्क जमा करायें जाने का प्रमाणीकरण भी देवें।

8 पूर्व में क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु शाला प्रधान का प्रमाणीकरण कि 'विद्यालय द्वारा राज्य/बोर्ड के मान्यता/सम्बद्धता से सम्बन्धित सभी नियमों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है" आवश्यक रूप से प्रेषित करें

9 उच्च माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विषयों/संकाय में शिक्षा विभाग से क्रमोन्नति प्राप्त होने पर विद्यालय ऑफलाईन ही आवेदन करें।

बोर्ड वेबसाईट **WWW.rajeduboard.rajasthan.gov.in**

सम्बद्धता पोर्टल लिंक **"School Affiliation Portal"**

विशेषः– विद्यालय आवेदन से पूर्व नियमों/FAQ का भली भांति अध्ययन कर सही प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करें।

सचिव